लोक सभा

शुक्रवार २१ नवम्बर १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

११-४५ म० पू०

कोरिया की परिस्थिति के बारे में वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय प्रधान मंत्री कोई वक्तव्य देना चाहते थे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान, क्या मुझे ऐसे विषय के बारे में कुछ शब्द कहने की अनुमति मिलेगी जो कि सदन की कार्य सूची में नहीं है परन्तु जो इस सदन के सदस्यों का, देशवासियों का, तथैव संसार के बहुत बड़ हिस्से का ध्यान आकर्षित कर रहा है ? इस समय संयुक्त राष्ट्र संगठन में संसार की शांन्ति पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा हो रही है । शांति-कार्य में सहायता

देने की भारतीय नीति के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संगठन में हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है उसने हमारी सम्पूर्ण सहमति से, कोरिया की परिस्थिति के बारे में एक प्रस्ताव पेश किया है । इस प्रस्ताव द्वारा हम ने समझौते के मार्ग में आज तक जो रुकावटें पैदा हुई थीं उनसे बाहर निकलने का सम्माननीय तरीका सुझाने की भरसक कोशिश की है । इस प्रस्ताव से सारे मामलों का निबटारा नहीं होता । हमें आशा है कि यह उचित दिशा में एक एक कदम है जो यदि उसी भावना से रखा जाय जिस भावना से प्रेरित हो कर हम ने वह सुझाया है, तो मानव जाति के सिर पर पड़ा हुआ भयंकर बोझ हल्का हो जायगा । हम ने अत्यन्त विनय के साथ यह सुझाव रखा है और मुझ संतोष है कि न्यूयार्क में समवेत हुए प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने उसका सस्नेह स्वागत किया है ।

राष्ट्र के तथा कभी कभी संसार के जीवन में ऐसा क्षण आ जाता है जब कि किसी संभाव्य निर्णय पर भविष्य निर्भर होता है । वैसा क्षण अभी आया है और इस पेचीदी परिस्थिति में धैर्य तथा निश्चय के साथ इस अवसर से लाभ उठा कर जिस महान उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन की नीव डाली गई है उस की पूर्ति करने की जिम्मेवारी उस पर आ पड़ी है । संयुक्त राष्ट्र संगठन के घोषणापत्र में लिखे गए तेजस्वी शब्द

के बारेमें वक्तव्य

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हमारे कानों में गूंज रहे हैं और इन शब्दों की वजह से संसार भर के लोगों के दिलों में आशा की जो उमंगें खड़ी हुई थीं उनकी हमें याद आती है । तब से किसी दुर्भाग्य ने हमारा पीछा किया है हमारी सारी कोशिशों को व्यग्र कर दिया है और संसार शांति अनुभव करने के बजाय आज युद्ध की छाया से लड़ रहा है । भय, द्वेश तथा हिंसा अपना कुरूप चेहरा बारबार ऊपर उठाते हैं और पीड़ित मानव जाति इन सोचनीय घटनाओं की ओर असहाय ता से देखती रहती है । प्रकाश क्षीण हो गया है ।

फिर भी प्रकाश की थोड़ी थोड़ी झलक है जो हमें ग्रासने वाली छायाओं को हटा सकती है और इस झलक को जगमगा कर लोगों के मन में अपने उद्देश्य की स्मृति ताजी करने की जिम्मेवारी आज संयुक्त राष्ट्र संगठन पर है । इस संकट के समय, मैं उन राष्ट्रों से अन्तः करपूर्वक प्रार्थना करता हूं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संगठन की साधारण सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है तथा जिन्हें प्रतिनिधित्व न होते हुए भी जो इस समस्या से गहरा सम्बन्ध रखते हैं, कि वे अपने को संसार की जनता ने उन पर प्रकट किए हुए विश्वास के पात्र सिद्ध करें और संयुक्त प्रयत्न द्वारा युद्ध का भूत गाड़ कर संसार में शांति का ध्वज फहरायें । इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संगठन अपने आदर्शों तथा उद्देश्यों के प्रति प्रामाणिकता का प्रमाण दे सकता है । इसी प्रकार हमारी पीढ़ी अपने को निर्दोष साबित कर सकती है ।

मुझे विश्वास है कि इस विषय में सदन के सारे पक्षों के सारे सदस्यों की ही नहीं बल्कि हमारे देश के करोड़ों नागरिकों की भावना मेरे साथ है ।

संयुक्त राष्ट्र संगठन में हमारे प्रतिनिधिमण्डल के सिर पर भारी जिम्मेवारी है । मैं चाहता हूं कि यह सदन उन्हें प्रोत्साहन तथा सद्भावना का संदेश भेजें जिस से कि उन्होंने हाथ में लिए हुए कठिन कार्य को पूरा करने में उन्हें शान्ति पहुंचे ।

यह वक्तव्य देते समय मेरे मन में केवल व्याकुल आशा ही नहीं बल्कि व्यथित प्रार्थना भी है कि हमारी पीढ़ी हमारी परम्परा के शांति चाहने वाले असंख्य लोगों की उम्मीदों के तथा जिस भविष्य को हम निर्माण करना चाहते हैं उस के लायक साबित हो ।

सम्पदा शुल्क के विषय में वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : माननीय त्यागी कुछ थोड़ी दुरुस्ती करना चाहते थे ।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : सदन को स्मरण होगा कि जब श्री चिंतामण देशमुख सम्पदा शुल्क विधेयक प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे तब उन्होंने कहा था कि पश्चिमी बंगाल, त्रिवांकुर कोचीन तथा सौराष्ट्र इन तीन राज्यों ने विमति प्रकट की थी और खेती की जमीन पर सम्पदा शुल्क लागू करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को प्राधिकार देना अस्वीकार किया था । सौराष्ट्र के बारे में उन्होंने कहा था कि उस राज्य सरकार की राय में वहां की परिस्थिति इतनी नहीं सुधरी थी कि इस प्रकार का कराधान किया जाय । यह राय राज्य वित्त मंत्री के उस पत्र में प्रगट की गई थी जो उन्होंने मुझे १८ जुलाई १९५१ को लिखा था । तब से वित्त मंत्रालय को राज्य सरकार से